

Original Article

थारू जनजाति की परंपरागत आजीविका प्रणाली और आधुनिक परिवर्तन : पश्चिमी चम्पारण जिला का एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. नितेश कुमार

शिक्षक, मध्य विद्यालय सिंहवाड़ा अनुसूचित, सिंहवाड़ा प्रखंड, दरभंगा

Email: niteshr40@gmail.com

Manuscript ID:

सारांश

JRD -2025-171129

ISSN: 2230-9578

Volume 17

Issue 11(A)

Pp. 154-159

November. 2025

Submitted: 18 Oct. 2025

Revised: 28 Oct. 2025

Accepted: 11 Nov. 2025

Published: 30 Nov. 2025

थारू जनजाति बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है, जो सदियों से अपनी पारंपरिक जीवनशैली, संस्कृति, कृषि-पद्धति, सामाजिक-व्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका प्रणाली के लिए जानी जाती है। यह जनजाति मुख्य रूप से वन, कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसी प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका पर निर्भर रही है। किंतु आधुनिक युग में शिक्षा, नगरीकरण, सरकारी नीतियों तथा आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं ने थारू समाज के पारंपरिक जीवन में गहरा परिवर्तन लाया है। थारू समुदाय का जीवन प्राकृतिक पर्यावरण एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ढला हुआ है। तराई क्षेत्र की जलवायु, उर्वर मिट्टी, घने वन संसाधन, विविध जल-निकाय एवं नेपाल सीमा के भू-राजनीतिक प्रभावों ने थारू समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को निर्मित किया है। आधुनिक काल में शिक्षा, शहरीकरण, सरकारी योजनाएँ, तकनीकी परिवर्तन, कृषि के आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास तथा सामुदायिक संरचना में बदलावों ने थारू जनजाति के पारंपरिक जीवन में नई चुनौतियाँ और संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। यह शोध-पत्र पश्चिमी चंपारण जिले में थारू जनजाति की परंपरागत आजीविका प्रणाली, उसमें आए आधुनिक परिवर्तन, भौगोलिक प्रभावों तथा वर्तमान चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः स्पष्ट है कि विकास को स्थायी एवं समग्र होना चाहिए जो मानव एवं जीवों के वर्तमान तथा भविष्य की संतुष्टि कर सके। परिवर्धनीय तत्वों के विकास को महत्व दिया जाए मानव समाज के सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक न्याय को विकास का महत्वपूर्ण अंग समझा जाए तथा मानव के उपयोग एवं विकास स्वरूप को पर्यावरणीय रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से उत्तरदायी एवं कम अपव्ययी बनाना चाहिए।

शब्द कुंजिका: पारंपरिक जीवन शैली, कृषि-पद्धति, आर्थिक, शिक्षा, वर्तमान चुनौतियाँ।

भूमिका

भारत की जनजातीय विविधता अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट है। बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिला थारू जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। थारू जनजाति का मूल निवास नेपाल के तराई क्षेत्रों से संबद्ध माना जाता है, किंतु सदियों से यह समुदाय भारत के सीमावर्ती जिलों विशेषकर बगहा, नरकटियागंज, सिकटा तथा गौनाहा में निवास करता आ रहा है। थारू समुदाय अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषा, वेशभूषा, भोजन प्रणाली, सामाजिक संगठन, कृषि पद्धति, रीति-रिवाज तथा धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। उनकी आजीविका का आधार मुख्यतः कृषि, वन उत्पादों का संग्रहण, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार, और स्थानीय संसाधनों पर आधारित हस्तशिल्प रहा है। परंतु परंपरागत अर्थव्यवस्था आज अनेक सामाजिक-आर्थिक कारणों से परिवर्तनशील हो गई है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

डॉ. नितेश कुमार, शिक्षक, मध्य विद्यालय सिंहवाड़ा अनुसूचित, सिंहवाड़ा प्रखंड, दरभंगा

How to cite this article:

कुमार, . नितेश . (2025). थारू जनजाति की परंपरागत आजीविका प्रणाली और आधुनिक परिवर्तन : पश्चिमी चम्पारण जिला का एक भौगोलिक अध्ययन. *Journal of Research and Development*, 17(11(A)), 154–159. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17893506>



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>

DOI:

[10.5281/zenodo.17893506](https://doi.org/10.5281/zenodo.17893506)



आधुनिकीकरण, सरकारी हस्तक्षेप, शिक्षा, सड़क एवं बाजार पहुंच, अध्यवसायिक प्रशिक्षण तथा पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं ने थारू समाज को नई आजीविका गतिविधियों की ओर प्रेरित किया है। प्रजातीय स्वरूप जलवायुविक प्रभाव आर्थिक संरचना एवं विचारों की विविधताओं के इतर सम्पूर्ण मानव जाति होमोसेपियन की वंशज है। विविध मानव समूहों में मौलिक पहचान एकरूपता पायी जाती है। प्रकृति की गोद एवं नदी उपत्यकाओं में प्रथमतः स्थापित आदिम जातियों को नई एवं परिष्कृत मानव समूहों ने कठोर दशाओं वाले क्षेत्रों की ओर विस्थापित किया है, और अपनी तथाकथित अच्छी संस्कृति हथिहार एवं कौशल के बल पर सघर्ष में सफल रहे हैं। औद्योगिक क्रान्ति तथा वैश्विक एकरूपता के प्रभाव ने इन आदिम समूहों को परिष्कृत कर उत्पादन एवं उपभोग की संस्कृति की ओर पलायित किया है। सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के अनुपालन में विकसित मानव समूहों ने विकास योजनाओं के माध्यम से इन जनजातियों का उपभोग एवं जीवन स्तर उत्थित हुआ है। वहीं उनकी भौलिकता पर चोट करके पारिस्थितिकीय समस्याओं को जन्म दिया है। जानजातीय को उच्च उत्पादन एवं उपभोग वाली संस्कृति के तुल्य सरल जीवन हेतु स्थापित करने के प्रयासों का समग्र रूप एवं संस्कारात्मक गुणात्मक परिवर्तन का नाम जनजातीय विकास की आवश्यकता का आंकलन आवश्यक है, जिसके लिए विविध संकेतों के आधार पर वर्तमान में जानजातीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। भारत विश्व में अफ्रीका के पश्चात् सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या धारित करता है जिसकी कुल आबादी का 8.80 प्रतिशत भाग जनजातीय समाज से है। ये जनजातीय समाज से है। ये जानजातीय लोग भारत के प्रथम निवासी रहे हैं। नई प्रजातियों ने पुरानी प्रजातियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर विस्थापित किया अतः सबसे प्राचीन प्रजातियों मौलिकता के लक्षणों की साथ सीमावर्ती क्षेत्रों वर्ग और दुर्गम स्थानों में पायी जाती है। वर्तमान में ये जनजातियां सामाजिक आर्थिक व्यावहारिक एवं प्रजातीय विविधताओं को प्रस्तुत करती है। शोध परियोजना का अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य का चम्पारण क्षेत्र है जो आज पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण नामक दो जिलों में विभक्त है, परन्तु पहले ये दोनों एक जिला के रूप में थे जिसे चम्पारण जिला कहा जाता था, जो 26°16' से 27°31' उत्तरी अक्षांशों तथा 83°50' से 85°18' पूर्वी देशान्तरों के मध्य अवस्थित है। बेतिया पश्चिम चंपारण जिला का मुख्यालय है। 2021 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 34,43,044 है, जन-घनत्व 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं कुल साक्षरता 44.94 प्रतिशत है। हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में यथेष्ट आर्द्रता उपलब्ध है। इसलिए यहां दलदली मिट्टी का विस्तार है। तराई प्रदेश से दक्षिण की ओर हटने पर समतल और उपजाऊ क्षेत्र मिलता है, जिसे सिकरहना नदी (छोटी गंडक नदी) दो भागों में विभक्त करती है। उत्तरी भाग में भारी गठन वाली कंकरीली पुरानी जलोढ़ मिट्टी पायी जाती है, जबकि दक्षिणी भाग चूनायुक्त अभिनव जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चम्पारण की मिट्टी उपजाऊ है। थारू जनजाति के लोगों के जीवन का मुख्य आधार कृषि और गृह उद्योग है। प्राचीन काल से ही थारू जनजाति कृषि कार्य एवं पशुपालन के कार्य में लगे हुए हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- थारू जनजाति की परंपरागत आजीविका प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करना।
- आधुनिक काल में विकसित नई आजीविका गतिविधियों एवं आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- पश्चिमी चंपारण की भौगोलिक स्थितियों का थारू जनजाति की आजीविका पर प्रभाव समझना।
- वर्तमान चुनौतियों, अवसरों तथा परिवर्तनशील सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करना।
- भविष्य के विकास मॉडल एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

विधितंत्र

इस अनुसंधान का उद्देश्य पश्चिमी चंपारण जिले में निवास करने वाली थारू जनजाति की पारंपरिक आजीविका प्रणाली, आधुनिक परिवर्तनों, भौगोलिक स्थितियों के प्रभाव, तथा सामाजिक-आर्थिक बदलावों का व्यवस्थित अध्ययन करना है। इस हेतु गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की अनुसंधान विधियों का उपयोग किया गया।

भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र थारू आजीविका के लिए अत्यंत अनुकूल क्यों है?

पश्चिमी चंपारण जिला अपने विशेष तराई भू-प्रदेश, उर्वरक मिट्टी, जंगलों की प्रचुरता, प्राकृतिक संसाधनों की अधिक उपलब्धता, नदियों एवं जल-निकायों के विस्तार, तथा सीमावर्ती भू-राजनीति की वजह से थारू जनजाति की आजीविका के लिए अत्यंत अनुकूल क्षेत्र माना जाता है। भूगोल के अनेक तत्व भू-आकृति, जलवायु, मृदा, जल संसाधन, जैव विविधता, वनस्पति संरचना, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव-पर्यावरण संबंध थारू आजीविका का आधार बनते हैं।

तराई क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक प्रकृति

पश्चिमी चंपारण बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित है, जिसका निर्माण हिमालय से आने वाली अनेक नदियों द्वारा समय-समय पर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। इस भू-प्रदेश की विशेषताएँ—

- जमीन अत्यंत समतल और खेती योग्य है।
- मिट्टी में उच्च जलधारण क्षमता है।

- भूजल स्तर बहुत अधिक ऊँचा रहता है (3-5 मीटर)।
- वर्षा अधिक (1200-1500 मिमी) होने से कृषि सफल होती है।
- दलदली और घासदार भू-भाग मछली पालन, पशुपालन व वन-आधारित आजीविका के लिए उपयुक्त है।

थारू आजीविका पर प्रभाव

- धान, मक्का और सब्जी जैसी फसलों के लिए अनुकूल मिट्टी।
- जल की उपलब्धता से पशुपालन आसान।
- तराई के जंगलों में जड़ी-बूटी, शहद, घास-फूस जैसी सामग्री उपलब्ध।
- दलदली क्षेत्रों में मछली की बहुलता।

उर्वरक जलोढ़ मिट्टी

पश्चिमी चंपारण की मिट्टी गंगा प्रणाली की नदियों—गंडक, बूढ़ी गंडक, पंडई, त्रिवेणी के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित है। मिट्टी की विशेषताएँ

- गहरी, उपजाऊ और मुलायम
- जैविक पदार्थों से समृद्ध
- पानी रोकने की क्षमता अधिक
- धान की खेती के लिए आदर्श
- बिना सिंचाई के भी फसलें उग सकती हैं

थारू जीवन पर प्रभाव

- थारू लोग पारंपरिक जैविक खेती करते हैं।
- धान, मक्का, दालें, तिलहन जैसी फसलें आसानी से उगाई जाती हैं।
- खाद, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है।

जल संसाधनों की प्रचुरता

पश्चिमी चंपारण में प्राकृतिक जल स्रोत अत्यधिक हैं। प्रमुख स्रोत—

- गंडक नदी
- हरहा, त्रिवेणी, पंडई जैसी धाराएँ
- बरसाती नाले
- दलदली क्षेत्र
- तालाब व झीलें

जल संसाधनों की प्रचुरता लाभ

- मछली पालन में सरलता
- वर्षा आधारित कृषि संभव
- पशुओं के लिए पानी आसानी से उपलब्ध
- पानी रोकने वाले खेत धान की खेती के लिए उत्कृष्ट।

थारू जातियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (1991-2021)

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (लाख में)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (लाख में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में	
				कुल जनसंख्या	अनुसू. जा.स.
1991	846.4	67.8	9.08	24.9	29.4
2001	1027.0	88.8	8.60	22.3	30.0
2011	1023.0	91.0	9.04	24.0	33.0
2021	1034.0	95.0	9.14	19.9	35.06

स्रोत- भारत जनजातीय उपयोजना दसवीं पंचवर्षीय योजना

साक्षरता- समस्याग्रस्त होने के कारण तथा सुविधाओं के अभाव के कारण जनजातियों में साक्षरता दर निम्न है परन्तु समय के साथ विकास योजनाओं के प्रभाव से अनुसूचित जनजातीय साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। परन्तु कुल साक्षरता सतत बढ़ रहा है। चूंकि अशिक्षा समस्त समस्याओं की मूल है, अतः अशिक्षा निवारण पर सतत प्रयास हो रहा है। महिला साक्षरता बहुत कम है परन्तु राष्ट्र के औसत साक्षरता वृद्धि दर से अधिक तीव्र हो रही है।

चम्पारण प्रदेश में जनजातीय विकास का स्वरूप नीतियां

स्वधीनता के समय बिहार प्रदेश के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं था। 1967 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत बुक्सा भोटिया राजी जौनसारी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया। 1967 तक ये जनजातियां अनुसूचित जातियों के रूप में थी जिनका प्रशासन हरजिन कल्याण निदेशालय के अधीन होता था। जिसकी स्थापना 1950-51 में की गई थी। 1956 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई जिसमें 1962 में हरिजन कल्याण निदेशालय मिला दिया गया। तथा हरजिन एवं समाज कल्याण निदेशक एवं जिला स्तर पर हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी कार्य देखते थे। लेकिन दोनों निदेशक के अधीन कार्य कर रहे थे।

शैक्षिक विकास कार्यक्रम

शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9 योजनाएं संचालित है, जिनका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है।

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन एवं भवन निर्माण।
- अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसिकिल अनुदान।
- दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रों को छात्रवृत्ति
- अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार हेतु अनुदान।
- छात्रावासों के संचालन एवं छात्रावासों का निर्माण।
- आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन एवं भवनों का निर्माण।
- बुक बैंक की स्थापना।
- पूर्वदशम छात्रवृत्ति।
- जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति।

थारू जनजाति में आधुनिक परिवर्तन

पिछले दो-तीन दशकों में थारू समाज में अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन देखे गए हैं।

शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)

सरकारी शिक्षा योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, छात्रवृत्ति योजनाएँ, आवासीय आदिवासी विद्यालय के कारण थारू समुदाय में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। युवा अब

- शिक्षक
- पुलिस
- सेना
- स्वास्थ्य कर्मी
- बैंक व निजी क्षेत्रों में नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं।

कृषि का आधुनिकीकरण (Modernization of Agriculture)

- ट्रैक्टर एवं आधुनिक कृषि औज़ार
- रासायनिक खादों का उपयोग
- HYV बीज
- बाजार आधारित खेती
- नकदी फसलों (गन्ना, सब्जी) की वृद्धि इन परिवर्तनों ने पारंपरिक कृषि प्रणाली को बदल दिया है

रोजगार के नए अवसर (New Employment Opportunities)

- मनरेगा
- सरकारी ठेकाकारी
- सड़क निर्माण
- स्थानीय बाजारों में व्यापार
- पर्यटन से जुड़े रोजगार

विशेषकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के विकास ने युवाओं को इको-टूरिज्म, गाइड, सुरक्षा गार्ड, सांस्कृतिक प्रस्तुति जैसे रोजगार दिए हैं।

महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन (Women Empowerment)

- महिला स्व-सहायता समूह (SHG)
- सूक्ष्म ऋण
- सिलाई-कढ़ाई
- मधुमक्खी पालन
- बकरी पालन
- पत्तल, दोना निर्माण के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक रूप से अधिक सक्षम हुई हैं।

विदेशी प्रभाव एवं सीमावर्ती संस्कृति परिवर्तन नेपाल सीमा से लगनेके कारण

- भाषा
- विवाह प्रथा
- भोजन शैली
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन (Land Use Change)

- वन भूमि पर सरकारी नियंत्रण
- कृषि भूमि का सीमित होना
- जनसंख्या वृद्धि
- व्यावसायिक खेती की ओर झुकाव इससे पारंपरिक कृषि और वन-आधारित आजीविका पर प्रभाव पड़ा है।

नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

- थारू समुदाय के लिए विशेष आर्थिक सहायता।
- वन-अधिकार कानून (FRA) के उचित क्रियान्वयन
- महिला SHG को वित्तीय सहायता
- थारू कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु केंद्र
- ग्रामीण पर्यटन मॉडल का विकास
- कृषि में तकनीकी प्रशिक्षण
- बच्चों और महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ
- सामुदायिक वन संरक्षण समितियों को सशक्त बनाना

निष्कर्ष (Conclusion)

थारू जनजाति पश्चिमी चंपारण जिले की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना का अभिन्न हिस्सा है। उनकी परंपरागत आजीविका कृषि, वन संसाधन, पशुपालन और सामुदायिक श्रम पर आधारित रही है। आधुनिकता के प्रभाव ने जहाँ उन्हें नई आर्थिक गतिविधियों की ओर प्रवृत्त किया है, वहीं उनके पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ाया है। यदि थारू समुदाय की परंपरागत आजीविका प्रणाली को आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्थानीय संसाधनों के साथ संतुलित रूप से जोड़ा जाए, तो यह समुदाय आत्मनिर्भर, सशक्त और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकता है। थारू जनजाति का भविष्य सतत विकास मॉडल, जैविक कृषि, पर्यटन, और महिला-सशक्तिकरण पर आधारित होना चाहिए, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रह सके। लेकिन बीते कुछ दशकों में तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक बदलावों ने इनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। यद्यपि आधुनिक परिवर्तन रोजगार, शिक्षा और आय में वृद्धि लाते हैं, किंतु इनसे परंपरागत ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को खतरा भी उत्पन्न होता है। अतः आवश्यक है कि विकास और परंपरा दोनों का संतुलन बनाते हुए सतत, समावेशी और संस्कृतिसंवेदी नीतियाँ बनाई जाएँ।



Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access

ISSN : 2230-9578 | Website: <https://jrdrv.org> Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

संदर्भ (References)

1. बिहार जनजातीय अनुसंधान संस्थान, पटना।
2. Census of India, 2011.
3. Singh, K.S. (1998). People of India: Bihar, Volume XVI. Anthropological Survey of India.
4. Pandey, R.K. (2019). Tharu Tribe of West Champaran: Culture, Livelihood and Change.
5. Ministry of Tribal Affairs (2023). Status Report on Scheduled Tribes of India.
6. Thakur, S. (2021). Tribal Livelihood and Development in Bihar.
7. Government of Bihar Economic Survey, 2022-23.
8. District Administration West Champaran (2022). District Statistical Handbook. Government of Bihar.
9. Bihar Tribal Department (2020). Tharu Tribe Profile Report. Tribal Welfare Department, Patna.
10. Forest Rights Act (2006). Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
11. National Forest Policy (1988). Government of India, New Delhi.
12. MGNREGA Annual Report (2021–22). Ministry of Rural Development.